न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 120/2014

1. कालूराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट साकिन राम सुखनसर तहसील सूरतगढ़

बनाम

1. सोहन पुत्र गणेशा जाति मेहतर निवासी सूर्यनगरी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
   1/1 दुलाराम पुत्र श्री सोहन जाति मेहतर निवासी सूर्यनगरी तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री राकेश कुमार मनचन्दा
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री भगवानदत्त शर्मा

निर्णय दिनांक: 12.12.2017

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा चक 11 जीएस तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के प.न. 201/62 किला न. 1 ता 25/8.200 है0 अ.का., प.न. 201/54 के किला न. 3/1/0.126, 4 ता 8/1.265, 13 ता 18/1.518, 23 ता 25/0.759 =3.668 है0 अ.क.व प.न. 201/55 के किला न. 5/0.101 है0 अ.क. कुल 9.969 है0 अ.क. कृषि भूमि सोहन पुत्र गणेशा जाति मेहतर साकिन सूरतगढ़ के नाम से नामांतरण संख्या 168 दिनांक 24.9.2014 दर्ज किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट का दशक वर्षों पर कब्जा बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा था। जिसकी मौका जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश जारी कर दिये। विवादित भूमि को अपने नाम से रिकार्ड में ना करवाने बाबत स्वयं मृतक सोहनलाल के पुत्र दुलाराम के द्वारा एक प्रार्थना मय शपथ पत्र उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 27.8.2012 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई थी। तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा अपीलांट कालूराम पुत्र अर्जनराम जाट एवं शंकरलाल पुत्र शेराराम जाट का मौका पर कब्जा होना तथा कब्जा नियमन की पत्रावली आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ के कार्यालय में जैरकार होने और रकबा विवादित होनें के कारण प्रार्थी ने कब्जा ना लेनें का अंकन किया गया है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने कार्यालय आदेश कमांक 10 दिनांक 04.01.2013 के प्रार्थना पत्र नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश दे दिये।

2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र 120/14 पर दर्ज की जाकर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। रेस्पोडेंट तरफ से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मीमां ही मेरी बहस है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। नियमन की पत्रावली भी सक्षम न्यायालय में जैरकार है। सोहन वल्द गणेशा का वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उक्त वर्णित नामांतकरण एक मृतक व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। जो कि नियमानुसार गलत एवं विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के तहत यह अपील पेश की है। धारा 75 में मूल आदेश के विरूद्व ही अपील पेश की जा सकती है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के आदेश की पालना में ही विवादित इंतकाल दर्ज किया है।अतः इसी बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने यह नही बताया कि वे विवादित भूमि पर किस हैसियत से काविज है। इनका विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। न ही उक्त रकबा इन्हे आवंटित हुआ है। उक्त भूमि रकबा राज में से हमें मिली है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलांट अतिक्रमी है। अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाकर कब्जा हमें दिलावे एवं अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 168

अतिरिक्त कलेक्टर
सूरतगढ़
कोड संख्या-8975

Scanned by CamScanner

दिनांक 24.9.2014 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। परन्तु पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार द्वारा विवादित इंतकाल स्वीकृत करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कौताही नही बरती गई है। न ही नियमविरूद्ध यह इंतकाल स्वीकृत हुआ है। जब तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा 24.9.2014 को सोहन वल्द गणेशा जाति मेहतर के नाम से विवादित रकबा का इंतकाल स्वीकृत हो चुका था तो अपीलांट द्वारा विवादित रकबा पर कब्जा–काश्त करना अतिकमण की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नही किया जिससे कि यह सिद्व हो सके कि कब्जा किस हैसियत से किया है। न ही अपनी बहस में इस संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत किया ।

उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्व है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 168 दिनांक 24.9.2014 सही स्वीकृत किया गया है। तथा अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अतिकमी की हैसियत से जबरन कब्जा किया हुआ है। चूंकि रेस्पोडेंट खातेदार कृषक है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 24.9.2014 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यदि खातेदार कृषक के खातेदारी हकूकों, कब्जे में कोई दखल करें तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैलस शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/17

अतिरिक्त कलेक्टर

(चांद मल वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

कोड 4975 सूरतगढ़

Scanned by CamScanner